

EASTERN RAILWAY

No. E.685/0/Pt.VIII

Kolkata, dated 21.06.2012

ALL CONCERNED

Sub: Retired Employees Liberalized Health Scheme (RELHS- 97)

The following copy of Railway Board's letter No. 2003/H/28/1/RELHS/Court Case dated 31/05/2012 is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

Board's earlier letters mentioned therein, were circulated under this office serial numbers noted against each: -

<u>Sl No.</u>	<u>Board's letter Number</u>	<u>Date</u>	<u>This office Serial Circular No.</u>
1.	2003/H/28/1/RELHS	28.01.2005	17(02)/2005
2.	2003/H/28/1/RELHS	21.10.2005	139(11)/2005
3.	2003/H/28/1/RELHS	30.12.2005 & 10.05.2006	74(07)/2006
4	2003/H/28/1/RELHS	10.01.2007	17/2007
5	2003/H/28/1/RELHS	16.03.2009	46/2009

G. Bandopadhyay
21-6-12
(G. Bandopadhyay)

Asstt Personnel Officer/ R & S&T
for Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter no. 2003/H/28/1/RELHS/Court Case dated 31/05/2012 addressed to General Managers, All Indian Railways and others.

Sub: Retired Employees Liberalized Health Scheme (RELHS- 97).

Arising out of demands raised by Federations & various Pensioner Associations, the subject matter facilitating Railway Medical Services to all Retired Railway Personnel through RELHS-97, had been under consideration of Board for some time. After careful & detailed examination of the matter the following has been decided by Ministry of Railways -

- (a) For Pre-March 2009 retirees - The RELHS - 97 will remain open-ended with a lock-in-period of six months for referral outside the Railway hospital with the rider this lock-in-period can be relaxed only in an emergency provided the patient is either admitted or visits the Railway hospital and the facilities for the treatment are not available in Railway hospital. Such referrals are to be processed only on recommendation of a specially constituted Medical Board.
- (b) For March 2009 and onwards retirees - The RELHS - 97 will remain open for a period of another one year from the date of issue of the letter for all those retired railway personnel who have not joined the scheme for one reason or the other. The Lock-in-period of six months as applicable for pre-March, 2009 has been made mandatory for all retiring Railway personnel without any exit clause whatsoever.

All other terms and conditions of RELHS-97 mentioned in Board's letter dated 16.03.2009 under reference will remain unaltered.

This has the approval of the President and issues with the concurrence of finance Directorate of Ministry of Railways. Wide publicity should be given to the above provisions.

Index no.1049: Board have extended the date of option for joining RELHS-97 for another one year.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस

नई दिल्ली, 31.5.2012

महप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें

(उत्पादन इकाइयों सहित)

महानिदेशक, अ.अ.मा.सं.

विषय: सेवानिवृत्त कर्मचारी उदासीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस-97)

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 28.01.2005, 21.10.2005, 30.12.2005, 10.05.2006,
10.01.2007 और 16.03.2009 के पत्र सं.2003/एच/28/1/आरईएलएचएस.

फेडरेशनों तथा विभिन्न पेशनर्स एसोसिएशनों द्वारा की गई मांगों को देखते हुए आरईएलएचएस-97 के माध्यम से सभी सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को रेलवे मेडिकल सेवाओं का लाभ प्रदान करने का विषयगत मामला कुछ समय से बोर्ड के विचाराधीन रहा है. इस मामले पर सावधानीपूर्वक तथा विस्तृत जांच करने के बाद रेल मंत्रालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है-

(क) मार्च, 2009 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए- आरईएलएचएस-97 अब खुला रहेगा परन्तु रेलवे अस्पताल से बाहर भेजे जाने के लिए 6 माह की लॉक-इन अवधि रहेगी परन्तु इसमें यह प्रावधान होगा कि इस लॉक-इन अवधि में केवल आपातकाल में ही छूट दी जा सकती है, जिसके लिए मरीज या तो रेलवे अस्पताल में रहमित हो या रेलवे अस्पताल में इलाज करा रहा हो तथा रेलवे अस्पताल में इलाज के लिए सुविधाएं मौजूद न हों. इस प्रकार की- रिफरस की कार्रवाई विशेष रूप से गठित मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों पर ही की जाएगी.

(ख) मार्च, 2009 और उसके बाद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए- आरईएलएचएस-97 ऐसे सभी सेवानिवृत्त रेलकर्मियों, जिन्होंने किसी भी कारण से इस योजना को न अपनाया हो, के लिए इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक और वर्ष के लिए खुली रहेगी. मार्च, 2009 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू 6 माह की लॉक-इन अवधि इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी लागू रहेगी. अब से सभी सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के लिए आरईएलएचएस-97 में शामिल होना अनिवार्य है तथा इस योजना को छोड़ने का कोई भी प्रावधान, जो भी हो, नहीं होगा.

बोर्ड के दिनांक 16.03.2009 के संदर्भाधीन पत्र में उल्लिखित आरईएलएचएस-97 की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है और इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है. उपर्युक्त प्रावधानों का व्यापक अन्वय किया जाना चाहिए.

(अ. डी. पी. पांडे)

कार्य. निदेशक स्वास्थ्य (योजना)

टेलीफोन- 2338 9623

ईमेल- edhp@rb.raiboc.gov.in